निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)

प्रकरण संख्या :96/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

गोपाल पुत्र रामसहाय जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम नायला, कावरिया की ढाणी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ पीठासीन अधिकारी श्री चिमन लाल मीणा आर.ए.एस.
2. बाबूलाल पुत्र जगदीश जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम नायला, कावरिया की ढाणी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।
3. कन्हैयालाल पुत्र जगदीश जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम नायला, कावरिया की ढाणी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।
4. शकर पुत्र जगदीश जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम नायला, कांवरिया की ढाणी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 123/2013 ब उनवानी रामेश्वर व अन्य बनाम कन्हैयालाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री रामकरण शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री केदार प्रसाद शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 05.10.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 123/2013 ब उनवानी रामेश्वर व अन्य बनाम कन्हैयालाल व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री केदार प्रसाद शर्मा ने उपस्थित हो कर वकालतनामा व जबाब पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पत्रावली में दिनांक 10.04.2023 को तारीख पेशी निहित थी तथा प्रार्थी के अधिवक्ता ने

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र 151 सी पी सी के पृथक पृथक पेश किये, जिनको आदेशिका में वर्णित नहीं किया गया तथा दिनांक 10.04.2023 को प्रार्थी जब न्यायालय में पहुंचे तो अप्रार्थी संख्या 2 उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में उपखण्ड अधिकारी के साथ चाय पीते हुये बातचीत कर रहे थे तथा करीब आधा धन्टा तक उपखण्ड अधिकारी के चैम्बर में अकेले रहे। प्रार्थी को शक हुआ तो प्रार्थी भी उपखण्ड अधिकारी के चैम्बर में घुस गया तब अप्रार्थी संख्या 2 के हाथ मे न्यायालय की फाईल थी जिसको दिखा कर कर रहे थे कि साहब आपको तो सिर्फ इस स्टे को खारिज करना है। उक्त शब्द स्वयं प्रार्थी ने अपने कानों से सुने व आखों से देखा है उपखण्ड अधिकारी राजनैतिक दबाव के कारण उक्त प्रकरण मे बिना प्रार्थी को सुने प्रकरण को खारिज करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 2 दिनांक 02.08.2023 को गांव में गांव वालों से बता रहे थे कि हमारी उपखण्ड अधिकारी से सांठ गांठ हो गई है तथा हम हमारी भूमि मे उपखण्ड अधिकारी से मिल कर स्टे खारिज करवा रहे है और हम राजनीतिक पहुंच रखते है जो विधायक के प्रभाव से उपखण्ड अधिकारी से इनकी भूमि पर कब्जा लेकर रहेंगे। इसलिए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से प्रार्थी का विश्वास उठा गया है । इसलिए उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय मे मुन्तकिल किया जावे ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सकें । अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये कथन किया कि प्रार्थी एवं उसके भाईयों ने उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष एक वाद संख्या 123/2013 मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है, जिसमें प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी से एक पक्षीय अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा वर्ष 2013 से ले रखी है। उक्त प्रार्थना पत्र को एनकेन प्रकारेण विलम्ब कर चलाते आ रहे है, जबकि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में अपना जबाब दावा एवं जबाब टी आई प्रार्थना पत्र पेश करा दिया है, उसके उपरारान्त भी मनघढन्त प्रार्थना पत्र लगा कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में बहस नहीं होने देते है। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बहस हेतु पाबन्द किया जाता है तभी झूंठे आक्षेप लगाते हुए मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर देते है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र झूंठे एवं मनघढन्त तथ्यों पर आधारित होने से पूर्णतया खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय से एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वर्ष 2013 से प्राप्त कर रखी है और प्रार्थीगण ने ही पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की शंका जाहिर कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थीगण की प्रकरण

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा स्पष्ट जाहिर होती है। प्रार्थीगण ने केवल कथानक के आधार पर यह पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम [illegible] सिंह 1984 RRD 501, [illegible] बनाम [illegible] [illegible] 1986 RRD 15 एवं [illegible] बनाम [illegible] 1980 RRD (SC) 41 में भी यह माना गया है कि मात्र कथानक के आधार पर प्रकरण को पुनरीक्षित किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष की ओर से सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि [illegible] निचले अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्य न्यायालय में पुनरीक्षित किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा [illegible] प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

1. निर्णय की प्रति पत्रावली [illegible] न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] को प्रेषित हो। पत्रावली नकल के बाद ही दर्ज शुमार फैसल हो।
2. निर्णय आज दिनांक 08.11.2022 को खुले इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर